राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश

8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / एन.एच.एम. / एन.टी.सी.पी. / 2019 / 2704 भोपाल, दिनांक 27.02.2019

समय – सीमा

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– COTPA 2003 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये जिला स्तरीय निगरानी दल एवं समस्त अनुभाग स्तर पर गठित समिति की जानकारी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि भारत शासन द्वारा वर्ष 2003 में तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करने हेतु "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के विज्ञापन एवं विनियमन निषेध) अधिनियम" (COTPA) लागू किया गया है। यह अधिनियम उन सभी उत्पादों पर लागू होता है जिनमें किसी भी रूप में तम्बाकू है।

इस अधिनियम के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किये जाने हेतु जिला स्तर पर निगरानी दल एवं समस्त अनुभाग स्तर पर अनुभाग स्तरीय समिति गठित किये जाने हेतु आपके जिला कलेक्टर को संलग्न अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया था।

अतः जिला कलेक्टर द्वारा COTPA 2003 को जिले में प्रभावी रूप से लागू करने के लिये गठित की गई जिला स्तरीय निगरानी दल एवं समस्त अनुभाग स्तरीय समिति की जानकारी कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त कर **दिनांक 5 मार्च 2019 तक** अनिवार्यतः से उपलब्ध करावें। यदि किन्हीं कारणों से आज दिनांक तक जिला स्तरीय निगरानी दल एवं समस्त अनुभाग स्तर पर समिति का गठन नहीं किया गया है तो **जिला कलेक्टर महोदय से जिला स्तरीय निगरानी दल एवं समस्त अनुभाग स्तर पर समिति गठित किए जाने हेतु समन्वय कर दिनांक 5 मार्च 2019 के पूर्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यालय को उक्त की जानकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि मार्च माह में COTPA 2003 हेतु राज्य स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण में निगरानी दल के 3 सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा सके।**

(निशांत वरवड़े)
मिशन संचालक,
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश

पृ. क्र. / एन.एच.एम. / एन.टी.सी.पी. / 2019 / भोपाल, दिनांक / /2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला नोडल अधिकारी, एन.टी.सी.पी., मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक,
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश